संख्याः-I/308512/2023

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्यज सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ।

2. निदेशक (रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र),
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-3 **लखनऊः: दिनांकः 27 अप्रैल, 2023**

विषयः मेरठ स्थित केन्द्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान को राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, बाबूगढ़, हापुड की भूमि हस्तान्तरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र संख्या-05015/58/2022-DADF-Dept, दिनांक 30.11.2022 पर विचार करते हुए शासन द्वारा आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के पत्र संख्या-1298/आठ-22/2022-24, दिनांक 21.03.2023 एवं पत्र संख्या-87/आठ-22/2022-24, दिनांक 13.04.2023 के माध्यम से प्राप्त आख्या एवं संस्तुति पर निर्णय लिया गया है कि मण्डलायुक्त-मेरठ के पत्र दिनांक 21.03.2023 एवं उससे संलग्न-शजरा (प्रक्षेत्र में ब्लॉक का नक्शा) एवं भारत सरकार के पत्र दिनांक 30.11.2022 के दृष्टिगत केन्द्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान, मेरठ को राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, बाबूगढ़, जनपद-हापुड के पास वर्तमान में उपलब्ध कृषि कृत्य क्षेत्रफल 502 एकड़ भूमि में से केन्द्रीय गोवंश अनुसंधान-मेरठ को संलग्न नक्शे के अनुसार 150 एकड़ भूमि (112 एकड़ ब्लॉक नम्बर-14 एवं 38 एकड़ ब्लॉक नम्बर-5 में) निःशुल्क रूप से प्रदान कर दी जाय।

2- अतएव मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया जनपद-हापुड की प्रश्नगत भूमि को केन्द्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान को हस्तान्तरित किये जाने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- डा0 भूषण त्यागी, संयुक्त आयुक्त, मत्स्य, पशुधन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके सन्दर्भित पत्र दिनांक 30.11.2022 के सन्दर्भ में।
2- जिलाधिकारी-हापुड़ एवं जिलाधिकारी-मेरठ।
3- निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- उप निदेशक (प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, महानगर, उ0प्र0 लखनऊ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्याः-844/सैंतीस-3-2023

प्रेषक,

डॉ0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ।

2. निदेशक (रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र),
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-3 **लखनऊः: दिनांकः 04 अगस्त, 2023**

विषयः मेरठ स्थित केन्द्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान को राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, बाबूगढ़, हापुड की भूमि हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-I/308512/2023, दिनांक 27.04.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा केन्द्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान, मेरठ को राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, बाबूगढ़, जनपद-हापुड के पास वर्तमान में उपलब्ध कृषि कृत्य क्षेत्रफल 502 एकड़ भूमि में से केन्द्रीय गोवंश अनुसंधान-मेरठ को संलग्न नक्शे के अनुसार 150 एकड़ भूमि (112 एकड़ ब्लॉक नम्बर-14 एवं 38 एकड़ ब्लॉक नम्बर-5 में) निःशुल्क रूप से प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया था।

2- शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त् उपर्युक्त निर्णय में भूमि के विवरण को संशोधित करते हुए यह निर्णय लिया है कि आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के पत्र संख्या-1943/ आठ-22/2022-24, दिनांक 26.06.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार प्रक्षेत्र प्रबंधक, राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, बाबूगढ़, हापुड के नवीन प्रस्ताव दिनाँक 10.06.2023 एवं संयुक्त समिति की आख्या दिनांक 14.06.2023 के आधार पर पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, बाबूगढ़-हापुड की साईट-1 वाली भूमि, जो रेलवे ट्रैक से लगी है, से पूर्व प्रस्तावित 38.00 एकड़ के स्थान पर 79.04 एकड़ एवं साईट-2 वाली भूमि, जो रेलवे ट्रैक के बाद में है, में से पूर्व प्रस्तावित 112.00 एकड़ के स्थान पर 70.96 एकड़ इस प्रकार कुल 150 एकड़ भूमि (प्रस्ताव के साथ संलग्न मैप पर प्रस्तावित भूखण्ड को पीले रंग से प्रदर्शित किया गया है) को केन्द्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान, मेरठ को निःशुल्क रूप से प्रदान कर दी जाय।

उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 27.04.2023 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

3- अतएव मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया जनपद-हापुड़ की प्रश्नगत भूमि को केन्द्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान को हस्तान्तरित किये जाने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>संख्या एवं दिनांक उक्तानुसार</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- डा0 भूषण त्यागी, संयुक्त आयुक्त, मत्स्य, पशुधन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके सन्दर्भित पत्र दिनांक 30.11.2022 के सन्दर्भ में।
2- जिलाधिकारी-हापुड़ एवं जिलाधिकारी-मेरठ।
3- निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- उप निदेशक (प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, महानगर, उ0प्र0 लखनऊ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
शिव सहाय अवस्थी,
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।